| देश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 13/01/2022 | **न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची**<br>**एस0 आर0 पुनरीक्षण** 25/2012<br>बुतरू महली बनाम चम्पा कुमारी कुजूर<br>**आदेश**<br>प्रश्नगत पुनरीक्षण वाद में आवेदक द्वारा अपर समाहर्ता, राँची के न्यायालय से अपील वाद संख्या–22-R 15-2012-13 में पारित आदेश को चुनौती दी गयी है। अपीलार्थियों द्वारा ग्राम–कुर्गी, खाता संख्या–37, प्लॉट नम्बर–252 में अवस्थित 82 डिसमिल भूमि के वापसी हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय से पारित आदेश को चुनौती दी गयी थी। अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया था। आवेदकों का कथन है कि विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा एकपक्षीय फैसला दिया गया, जो कानून की दृष्टिकोण से सही नहीं है। आवेदक के पास उक्त भूमि के अलावा कोई अन्य भूमि नहीं है तथा प्रश्नगत् भूमि पर विगत् 60 वर्षों से उनका कच्चा मकान अवस्थित है। इसी आधार पर प्रश्नगत् पुनपरीक्षण आवेदन को मान्य करने हेतु अनुरोध किया गया है।<br>प्रश्नगत् वाद में आवेदक अधिकतर तिथियों को अनुपस्थित रहे हैं। अंतिम रूप से हाजिरी दिनांक–09.12.2019 को दी गयी थी। इसके पूर्व दिनांक–22.04.2019 को वादी के अधिवक्ता द्वारा समय मांग की गयी। आवेदक के लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रश्नगत् वाद को उपलब्ध कागजातों के आधार पर निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।<br>भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में आवेदकों के द्वारा मात्र 1990 के सर्वे का पर्चा दाखिल किया गया। इसके अतिरिक्त कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये। आवेदक उक्त न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहे, जिस कारण एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई के पश्चात् आदेश पारित किया गया है। उक्त न्यायालय में मात्र बण्डा पर्चा के अतिरिक्त आवेदक कोई कागजात प्रस्तुत | |

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| | नहीं कर सके। इस न्यायालय में दायर पुनरीक्षण वाद में आवेदकों की तरफ से कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उन्हीं बिन्दुओं पर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्णित तथ्यों के आलोक में इस पुनरीक्षण आवेदक को खारिज किया जाता है। आवेदकों द्वारा अपने आप को भूमिहीन होने का उल्लेख किया गया है। आवेदक द्वारा इस भू–वापसी से भूमिहीन होने का दावा किया गया है। नियमानुसार भूमिहीन व्यक्ति के साथ गैर मजरूआ जमीन के बंदोबस्ती का प्रावधान है। आवेदक उक्त बंदोबस्ती हेतु अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है। उक्त निदेश के साथ इस बात की कार्रवाई समाप्त की जाती है।<br><br>लेखाषित एवं संशोधित<br><br>आयुक्त।<br><br>आयुक्त। | |

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.23 16:56:14 +05:30
Location: 192.168.1.40